



श्रावक के बारह-व्रत

सम्यक्त्व का स्वरूप।

तत्त्व (यग्य) का जैसा स्वरूप है उसको उसी प्रकार जान कर संज्ञा करना सम्यक्त्व है। मुख्य तत्त्व तीन हैं—देव, गुरु और धर्म।

देवतत्त्व—कर्मशत्रु को हनने वाले, अठारह दोष रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशक-अविद्वन्त और अष्ट कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान देव हैं।

गुरुतत्त्व—निर्ग्रन्थ (परिमह रहित) कनक कामिनी के त्यागी पंच महाव्रत के धारक, पटकाय जीवों के रक्षक, सत्ताईस गुणों से भूषित, वीतराग की आशानुसार चलने वाले साधु, गुरु हैं।

धर्मतत्त्व—सर्वज्ञभाषित, दयामय, विनयमूलक, जीवतत्त्व और अजीवतत्त्व तथा आत्मा और कर्म का भेदज्ञान करने वाला, मोक्ष तत्त्व का प्रकृषक—शास्त्र, हैं।

प्रतिज्ञा

ऊपर लिखे अनुगार में देव गुरु और धर्म की भक्ता (प्र करूँगा। इनके सिवा किसी दूसरे कुगुरु और कुधर्म का मैं साधक व सच्चा नहीं मानूँगा।

आगार

कदाचित् राजा, के आप्रह सं, जाति के बलात्कार से, के प्रकोप से, माता पिता, आदि कुदुस्व की तथा गुरु की पालन निमित्त दुष्काल (विपत्ति पड़ने पर अथवा अटर्वा भटके तिर्याह निमित्त कुदेव कुगुरु कुधर्म का दान-मान दे तो मेरे आगार है इनके सिवा किसी विशेष अवसर पर दुःख की रक्षा निमित्त संघ का कष्ट दूर करने निमित्त, धर्म की के लिए और लोक व्यवहार से कुदेव आदि का सम्मान क तो इनका भी मेरे आगार है।

नियम

देवाराधना—सुख शान्ति में नित्य प्रति नमोकार मन्त्र व () या आनुपूर्वी गिनूँगा अथवा पांच पदों की करूँगा—अर्थात् देवस्तुति करता रहूँगा।

१. आगार—इन कारणों से नियम भंग नहीं होगा।

गुरुआराधना— जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ; उस क्षेत्र में विराजमान साधु माध्वी का प्रतिदिन दर्शन करूँगा। यदि किसी विशेष कारण से दर्शन नहीं कर सका तो कित्ती? विषय आदि का त्याग करूँगा या किसी दूसरे नियम का पालन करूँगा शास्त्रानुसार गुरु भक्ति करता रहूँगा।

धर्मआराधना— केवली भाषित, अहिंसा स्वरूप, दयामय धर्म को धर्म मानूँगा, और जिसमें हिंसा होती है उसे धर्म नहीं मानूँगा। देवी देवता, तीन सौ तिरसठ पाल्खंडी, बुद्धर्शनी, पासत्य को बंदना आदर-स्तुकार रुपया पैसा आदि धर्म निमित्त नहीं दूँगा, यदि लोक व्यवहार से देना पड़े तो उसे धर्म नहीं समझूँगा। धन सकेगा जहाँ तक थोड़ा या बहुत जिनवाणी का पठन-मनन या श्रवण करूँगा। नवतत्व चार निचोर, चार प्रमाण सातनय सप्तभंग तथा जिन भाषित शास्त्रों का यथाविधि स्वाध्याय करने का प्रयत्न करूँगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणां द्वारा तथा नयीं द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करूँगा।

इस प्रकार मिथ्यात्व त्याग कर सम्यक गुरु श्री

महारान के समीप सम्यक्त्व ग्रहण करता हूँ।

१ दुग्ध-घृत-नयनीत-(सकम्बन) तेल-गुडादि पदार्थों का परित्याग करना

आदि भिनभिनाने लगते हैं तथा मन्दगी फैलती है, जो रोगोत्पत्ति का कारण बन जाती है।

८ भाइ बूढ़ारी कटोर नहीं रखनी चाहिए; क्योंकि इसमें कामल जीव मर जाते हैं।

९ मोरी गटर आदि में दूरी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सम्मूर्द्धन जीवों की हिंसा होती है, और गर्म वायु से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।

१० खाने पीने को बम्बुएँ समचलित हो गई हों, गन्ध बर्ण बदल ग हो बम्बु में लार पड़ गई हो, जालिमा नीलीया फूलन आ हो इत्यादि विफुल चीजों को खाने पीने के काम में न लाना चाहिए।

११ तालाब नदी कुएँ आदि में कूद कर या अन्धर घुम बिना छत्ते पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि की गर्मी और पसीने से तथा शरीर के आवाल से बहु जलचर जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

१२ दीपक को खुला नहीं रखना चाहिए, जीवों की रक्ष लिए ढका रहना चाहिए और उसको असावधानी जलाना चाहिए।

१३ अपने बृद्ध पशुओं को अवारग नहीं क्राने देना चाहिए कि इन पशुओं ने बहुत बड़ा तुम्हारी सेवा की है, इस बृद्ध माता की तरह पालन करने योग्य है। इनके के हाथ नहीं बेचना चाहिए तथा ऐसी जगह पर बेचना चाहिए, जहाँ ये कष्ट पावें।

१४ मले, विवाहादि अवसर पर इक्का, गाड़ी आदि को शर्त बद कर नहीं दौड़ाना चाहिए, ऐसा करने से घोड़े बैल आदि के प्राण चले जाते हैं तथा मार्ग में कुत्ते, बालक आदि दब कर मर जाते हैं।

१५ जिन वस्तुओं के निमित्त से पंचेन्द्रिय जीवों का घात होता है ऐसी वस्तुओं, पंख चाली पोशाकों, कचकड़ा की चीजों हाथी दांत वगैरह की वस्तुओं को काम में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इनसे हिंसा को उत्तेजना मिलती है।

१६ विरादरी आदि के जीवन में एक थाल में अनेक को मिलकर भोजन नहीं करना चाहिए और जूठा नहीं डालना चाहिए।

१७ रात्रि को भ्रमण न करना चाहिए क्योंकि—ऐसा करने से जीव हिंसा और व्यभिचार की संज्ञा बढ़ जाती है।

१८ हिंसक जाति को बछड़ा पाड़ा आदि पशु नहीं देने चाहिए।

१९ मत्तक की राख और हड्डी (फूल) को नदी तालाब आदि में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राख हड्डी के खार से जल में के व्रस जीव भी भर जाते हैं।

२० जिसे किसी भी प्रकार की हानि होने की संभावना हो, ऐसे किसी भी जहरीले पागल आदि जानवरों को भावक न मारे न मराये और न मारने वाले को भला जाने। यदि किसी की प्राणरक्षा के निमित्त उन्हें पकड़ कर या पकड़वा कर, पीजरे में या शून्य घर में या एकान्त स्थान में श्रौढ़ना या छुड़वाना पड़े तो दूसरी बात है।

आगार


- १ किसी जीव का प्राण बचाने के लिए अथवा किसी प्राण को मनुष्य को शिशा दिलाने के लिए यदि कोई भूठ घोष पड़े तो इसका मेरे आगार है ।
- २ हास्य भय क्रोध आदि परिणाम से राजा की आज्ञा अचानक बिना विचारे बोलने नैदीशो से यदि मुझसे असत बोला जावे तो मेरे आगार है ।

अतिचार (दोष)

- १ बिना विचारे किसी को आघात पहुंचे, ऐसा वचन बोलना ।
 - २ किसी की गुप्त बात प्रकट करना ।
 - ३ किसी स्त्री पुरुष का मामिक भेद प्रकाशित करना ।
 - ४ किसी को जान बूझ कर भूठा उपदेश देना, खोटी सलाह देना ।
 - ५ भूठा लेख स्वतः पत्रादि लिखना ।
- ये सत्याणुव्रत के पांच अतिचार हैं, इनको जान कर त्यागना चाहिए ।



शिक्षा




- १ जिस बात का पक्का प्रमाण नहीं ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये ।
- २ युक्त अयुक्त का विचार किये बिना नहीं बोलना चाहिये ।
- ३ विशेष कारण बिना ऐसा कटु वचन नहीं बोलना चाहिये जिससे दूसरे के साथ बिगाड़ हो ।
- ४ अपनी शक्ति का विचार न करके लम्बी चौड़ी बातें नहीं करनी चाहिये ।
- ५ इतना ही बोलना चाहिये, जिसका पालन कर सकें अधिक बोलने से प्रतिष्ठा घटती है तथा लोगों का विश्वास उस पर नहीं रहता है ।
- ६ किसी को नुकसान पहुंचे, फ़ज़ीता हो विरोध बढ़े ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिये ।
- ७ कोई सलाह लेने आवे उसको खोटी सलाह नहीं देनी चाहिये, क्योंकि इसे विश्वासघात कहते हैं और विश्वासघात महापाप है ।
- ८ भले वुरे का विचार किये बिना दूसरे को प्रसन्न करने के लिये मृदुभाषी नहीं बनना चाहिये ।
- ९ किसी को कुमार्ग से रोकने के लिये हितकामना से बोले गये कटु वचन परिणाम में सुखदायी होने से यद्यपि निर्दोष हैं, तथापि दूसरे को अप्रसन्न होने से मौन रहना अधिक श्रेयस्कर है ।

- १० किसी को निन्दा नहीं करना चाहिये, किसी का दोष प्रकट न। तो उसको प्रेम वृत्त समझ कर दोष दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये, किन्तु दुर्बिचार से उसके पीठ पीछे दोष प्रकट नहीं करना चाहिये।
- ११ धर्मोपदेश में या धर्मोपदेश करने समय विकारा नहीं करनी चाहिये।
- १२ धार्मिक कार्यों में एक कपट मन्त्रित नहीं बोलना चाहिये।
- १३ सभा में पंचायती में अथवा अपरिचित अनुचर के साथ कभी हँसी मजाक नहीं करनी चाहिये।
- १४ गियों को पुस्तों के साथ और पुस्तों को गियों के साथ कभी हँसी मजाक नहीं करनी चाहिये।
- १५ किसी के साथ हँसी दिवंगी का मन्वन्व हो उसको भी घटाना चाहिये, क्योंकि हँसी मजाक से कभी २. क्लेश हो जाता है, अथवा प्रेम द्वेष का रूप धारण कर लेता है।
- १६ जहाँ तक इन सके कम बोलने की आज्ञा टालनी चाहिये, हित मित सत्य और श्रियवचन बोलने का अभ्यास करना
- १७ निम्नोक्त मुख्य १४ कारणों से भूट बोलता जाता है—१ कोप २ मान, ३ नाया, ४ लोभ, ५ राग, ६ द्वेष, ७ हान्य, ८ भय ९ लज्जा, १० कीड़ा, ११ हर्ष, १२ शोक, १३ चतुर्गई और १४ बहुत बोलना।
- १८ भूट से अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, भूट का कीट विरवान नहीं करता, एक भूट से सब सुदुर्गुण टंक जाते हैं, एक भूटों बात को सिद्ध करने के लिये के लिए अनेक भूट बोलने पड़ते हैं, भूट को लोग गप्पी, तवार, लुन्वा ठग, धूर्त इत्यादि


नामों से पुकारते हैं। भूठ से कभी-कभी अकाल मृत्यु भी हा जाती है और परभय में गूंगा बाबला कटुभायी तोतला दुर्गन्ध मुख वाला और एकेन्द्रिय आदि होता है, ऐसा समझ कर भूठ का त्याग करना चाहिए।

१६ यदि स्त्री कोई गुप्त बात अपने पति से कहे तो पति को चाहिये कि उसे प्रकाशित न करे, क्योंकि कभी-कभी गुप्त बात के प्रकाशित हो जाने पर स्त्री आत्म हत्या तक कर लेती है।

२० प्रथम तो कोई गुप्त बात स्त्री को कहनी ही नहीं चाहिए यदि किसी खास कारण से कोई गुप्त बात स्त्री को कह दे तो स्त्री को चाहिए कि उसको प्रकाशित न करे, क्योंकि कोई-कोई बात ऐसी होती है कि जिसके प्रकाशित हो जाने से पति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इसी तरह मित्र को भी चाहिए कि मित्र की कोई गुप्त बात प्रगट न करे।



तीसरे स्थूल अदत्तादान (चोरी) का त्याग



द्रव्य से—मैं ऐसी चोरी नहीं करूँगा और न करवाऊँगा, जिससे राज दण्ड या पंचों से अपमान हो।

क्षेत्र से—मैं मर्यादित क्षेत्र की वस्तु को स्वामी की आज्ञा बिना ग्रहण नहीं करूँगा और न करवाऊँगा, जिससे राजा द्वारा दण्ड या पंचों द्वारा दण्ड प्राप्त हो। मर्यादा से बाहर समस्त प्रकार की चोरी का त्याग करता हूँ।


काल से—मैं जीवनपर्यन्त उक्त प्रकार की चोरी का त्याग करता हूँ।

भाषा से—मैं मन वचन काय से उक्त प्रकार की चोरी न करूँगा और न करवाऊँगा। इसके मुख्य निम्नोक्त पाँच भेद हैं—

- १ किसी के मकान में खात (सैंध) लगा कर स्वामी की आज्ञा बिना कोई वस्तु लेना।
- २ गांठ खोल कर स्वामी की आज्ञा बिना कोई चीज लेना।
- ३ ताले पर कुँजी लगा कर अश्वत्था ताला तोड़ कर बिना आज्ञा किसी की वस्तु लेना।
- ४ मार्ग में चलते हुए को लूटना।
- ५ कोई गिरी पड़ी वस्तु जिसका मालिक है, उसकी बिना आज्ञा ग्रहण करना इत्यादि।

नियम

- १ मैं नकली चीज को असली कह कर नहीं बेचूंगा ।
- २ मैं रेल का टिकट और माल का किराया नहीं छिपाऊंगा ।
- ३ मैं डण्डी मार कर कम नहीं तोलूंगा और गज आदि को खिसका कर कम नहीं नापूंगा । अर्थात् हर एक प्रकार के व्यापार में छल पूर्वक क्रियाएँ नहीं करूंगा ।



आगार

- १ किसी सम्बन्धी मित्र या अपने पर विश्वास रखने वाले का घर उसके पीछे खोल कर कोई चीज लेनी पड़े तो इसका मेरे आगार है, किन्तु उसकी सूचना उसे तत्काल दूंगा ।
- २ कम मूल्य वाली कागज कलम सुपारी औपधि आदि वस्तु जिसका लेना व्यवहार में चोरी नहीं समझा जाता है, भ्रामी की आम्ना विना लेना पड़े तो इसका मेरे आगार है ।
- ३ मार्ग में गिरी भूली-भटकी वस्तु जिसके मालिक का निश्चय नहीं है, उसको रखने का आगार है । यदि अधिक मूल्य की वस्तु होगी तो उसका कुछ भाग परमार्थ में लगाऊंगा ।
- ४ गड़ा पड़ा धन यदि हाथ लगे तो राज्य के कानून अनुसार करूंगा जिस पर राजा का हक्क नहीं पहुंचता है, उस धन का कुछ भाग परमार्थ कार्य में लगा कर शेष धन रखने का आगार है ।

अतिचार (दोष)


- १ चोरी की चीज स्वयं खरीदना और दूसरे से खरीदवाना।
- चोर को चोरी करने में सहायता देना और दिलाना।
- ३ राम विरुद्ध बड़ा कार्य में अश्रय करना और करवाना।
- ४ तोलने के बौरे और नापने के गज बगैर हीनाधिक रखना और रखवाना।
- ५ अधिक मूल्य की वस्तु से कम मूल्य की वस्तु मिलाना और मिलवाना, अथवा दिखाई हुई वस्तु को न देकर दूसरी वस्तु देना या दिलाना।

ये अदृष्टाचार के पाँच अतिचार हैं, इनको जानकर त्याग करना चाहिये।

मं०
मिति

२० त्यागकरा


नोट:- जिसको उक्त त्याग व नियम में हीनाधिक करना हो वे ऊपर द्योड़ी हुई गणह में कर सकते हैं।




१. चोरी दो तरह में होती है, एक तो चोर की भांति मालिक की अनुपस्थिति में अथवा मालिक को मानस न हो सके इस तरह रात्रि आदि के समय खात लगाकर या ताला छोड़ कर चोरी की जाती है। दूसरी साहूकारी ढंग से चोरी की जाती है, जो मालिक के समक्ष में जुल्म से अथवा ठगाई से की जाती है। जो जुल्म में होती है उसको दिन दहाड़े लूटना या का दालना कहते हैं और ठगाई से होने वाली चोरी व्यापारादिक कार्यों में व्याप्त होने से साहूकारी में गिनी जाती है। जैसे पांच रुपये की वस्तु का मोल दस रुपये कहना और उसको बिल्कुल ठीक बता कर विचारे भोजे मनुष्यों को ठग कर द्रव्य बेना करना यह भी एक प्रकार की चोरी है इसी तरह हिसाब में मुलाकर भूठा सतनामा लिख कर अधिक लेना, किसी की सरहद दवाना घूस (रिश्वत) लेना आदि भी चोरी ही समझना चाहिए।

२. यद्यपि इस तृतीयप्रत में व्यापार सम्बन्धी चोरी के सब नियम नहीं आये हैं, तथापि गुणाभिलाषी मानवों को विश्वासघात झूठ-फपट नहीं करना चाहिये। धर्म भगवान आदि की सौमन्य नहीं खाना चाहिये। छोटे बड़े सब के प्रति एक भाव रखना चाहिये यदि अधिक ही लेना ही साफ कह कर लेना चाहिये।

- ३ व्यापार में सचाई और प्रामाणिकता रखनी चाहिये, क्योंकि इससे प्रतिष्ठा होती है और लाभ भी अधिक होता है इस लिये धर्म और अर्थ की भिन्न के लिये मदा मत्या और प्रामाणिकता का व्यवहार करना चाहिये। अमत्यता और अप्रामाणिकता से एक बार कदाचित् लाभ हो सकता है, किन्तु पश्चात् मालूम हो जाने पर धन और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं।
- ४ आदत या दलाली के धन्वे में दुसरे ने विश्वासपात्र समझ कर जो वस्तु सौंपी हो या आर्बर दिया हो उसमें दलाली या आदत के सिवा अधिक लालच करना विश्वासघात है इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।



चौथा स्थूल मैथुन त्याग-ब्रम्हचर्य व्रत



द्रव्य से—मैं पंचों की साक्षी पूर्वक विवाहिता स्वग्री (स्वपति) के साथ एक मास में () दिन के सिवा मैथुन सेवन नहीं करूंगा। देव देवी सम्बन्धी मैथुन सेवन का दो करण तीन योग से त्याग करता हूँ, अर्थात् मन वचन काय से न करूंगा और न करवाऊंगा तथा मनुष्य मनुष्यनी तिर्यच तिर्यचनी सम्बन्धी मैथुन सेवन का एक करण एक योग से त्याग करता हूँ, अर्थात् काय से मैथुन सेवन नहीं करूंगा।

क्षेत्र से—मर्यादित क्षेत्र में स्वदारसंतोष व्रत रक्खूंगा, अर्थात् अपनी पाणिगृहीता स्त्री के सिवा सब स्त्री का त्याग करता हूँ, तथा मर्यादा के बाहर सब प्रकार के मैथुनसेवन का उक्त प्रकार से त्याग करता हूँ।

काल से—जीवनपर्यन्त मैथुनसेवन का उक्त प्रकार से त्याग करता हूँ।

भाव से—उपर्युक्त करण और योग से मैथुनसेवन का त्याग करता हूँ।



नियम

—:ॐ:—

१ मैं इतने () वर्ष तक जब तक विद्या पढ़ता हूँ पूरा ब्रह्मचर्य पालूंगा, अर्थात् किसी प्रकार अपने चीर्य को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि विद्या का लाभ ब्रह्मचारी को सहज में होता है।

रानी है, अतः दुसरी बार भोग करने से अधिक संवेदन
जीवों को दिना का योग लगना है।

- ३ अपनी सन्तान का विवाह वांछ्यावन्ता में नहीं करना चाहिये।
- ४ प्रदर्शन वाली और अभिभय वचन नहीं बोलना चाहिये।
- ५ विशेष कारण बिना अधिश्चानी पुरुष के घर नहीं जाना चाहिये।
- ६ व्यवहारी और विपयलोकुषी पुरुष को संगति नहीं करना चाहिये।
- ७ विकारदृष्टि से स्त्री को परपुरुष के और पुरुष को परस्त्री के अंगोपांग नहीं देखना चाहिये।
- ८ परपुरुष या परस्त्री के साथ विशेष कारण बिना एकान्त में नहीं रहना चाहिए।
- ९ बिना काम रात्रि में या असमय में जहां तहां नहीं भटकना चाहिये।
- १० पुत्र्य को स्त्री समूह में और स्त्रियों को पुत्र्य समूह में विशेष कारण बिना नहीं बैठना चाहिए।
- ११ पुरुष को परस्त्री के विद्योने पर और स्त्री को परपुरुष के विद्योने पर नहीं बैठना चाहिए।
- १२ जहां स्त्री पुत्र्य का संवर्षण (शरीर स्पर्श) होगा ही ऐसे मलों में नहीं जाना चाहिए।
- १३ विपयलोकुषी का बढ़ाने वाले नाटक छात्रि नहीं देखना चाहिये।
- १४ शृंगार रत्न के गायन नहीं गाने चाहिये।

१५. दिपय वृत्ति पर अलुश न कर सकें ऐसी औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए ।

१६. विकार को उत्पन्न करने वाले वस्त्र आभूषण नहीं पहनने चाहिए ।

१७. कामविकार उत्पन्न करने वाले स्त्री आदि के चित्र अपने मकान में नहीं रखने चाहिए ।

१८. स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथ, वार्ता नहीं करनी चाहिए ।

१. शीलव्रत के नियम वाले को अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या आदि दिनों में अपनी सोने की शय्या दूर रखनी चाहिये, और स्त्री का स्पर्श नहीं होने देना चाहिये क्योंकि निमित्त मिलने पर व्रत भंग का पूरा भय रहता है, तथा नियम वाले दिनों में इन्द्रिय बलकारी भोजन नहीं करना चाहिये ।

२. एक बार मधुन सेवन करने में एकन्द्रिय द्वीन्द्रिय जीवों के सिवा कभी कभी नौलाख संज्ञी पचेन्द्रिय गनुष्यों का भी घात हो जाता है, जैसे अग्नि में तपश्च हुई लोहे की सलाई बाँध की नली में डारने से नली में पड़े हुए सब तिल जल जाते हैं वैसे ही संगीग करने समय योनि में जितने जीव होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं ।



निम्न प्रकार के स्थलों की मर्यादा



दुर्ग में—एक कमरे के स्थलों की निम्न प्रकार से मर्यादा
करना है।

शेरा में—सामान्य लोक के स्थलों की निम्न प्रकार से मर्यादा
करना है।

कान्ठ में—दुकानों की निम्न प्रकार से काँच मर्यादों मर्यादा
करना है।

भांग में—एक कमरे नीचे योग में आधे से मन खचन काय में
निम्न प्रकार स्थलों की मर्यादा करना है।

शेरा में—मर्यादा शेरा में निम्नोक्त परिषद के सिवा मर्यादा का
त्याग करना है और मर्यादा में साह्य के शेरा में मर्यादा
परिषद का त्याग करता है। सूखी जमीन में मर्यादा
बर्गाने हुए वायवी आदि यदि मर्यादा पड़े तो घीघा
() तक, अथवा मर्यादा रखना पड़े तो
घीघा () तक की मर्यादा करता है और
शेरा का जीवन पर्यन्त त्याग करता है।

वास्तु वस्तु—दुकी जमीन घर दूकान वाड़ा मिल कारखाने गोदाम
आदि के मकान नग () की मर्यादा
करता है और इससे अधिक का जीवन-पर्यन्त त्याग
करता है।

रख्य— घड़ी हुई या बिना घड़ी हुई चांदी घर खर्च के लिए जीवन पर्यन्त तक धजन () और व्यापार निमित्त एक वर्ष प्रति धजन () इसके उपरान्त का त्याग करता हूँ।

मुवर्ग— घड़ा हुआ या बिना घड़ा हुआ सोना जन्म पर्यन्त घर खर्च के लिए धजन () और व्यापार निमित्त एक वर्ष प्रति धजने () इससे अधिक का त्याग करता हूँ।

धन— नोहर गिनी रुपये पैसे आदि सिक्के तथा हीरा मोती माणिक आदि जवाहिरान घर खर्च के लिए रु० () का जीवन पर्यन्त तक तथा व्यापार निमित्त एक वर्ष तक रु० () का इससे अधिक का त्याग करता हूँ।

धान्य— सब २४ प्रकार का धान्य घरखर्च के लिए एक वर्ष में मन () और व्यापार निमित्त एक वर्ष में मन () और बाकी सब का त्याग करता हूँ।

द्विपद— नौकर चाकर (दास दासी) एक वर्ष में नग () तक की मर्यादा करता हूँ इससे अधिक का त्याग करता हूँ।

चतुष्पद— गाय () भैंस () घोड़ा () ऊँट () बैल () बकरी () भेड़ () हाथी () का जीवन का पर्यन्त तक के लिए

परिमाण करता हूँ, इससे ज्यादा त्याग करता हूँ।

कुप्प (कुविय) — कांसा पीतल ताँवा लोहा आदि धातु जीवन पर्यन्त घर खर्च के लिये रु () तक की और व्यापार निमित्त एक वर्ष में रु० () तक की मर्यादा करता हूँ।

मेज कु सी सन्दूक आदि नये खरीदने पड़े तो रु० () तक।

रुई सूत ऊन कपास कपासिया (विनौला) का व्यापार करना पड़े तो रु० () तक।

गाड़ी मोटर बग्गी तांगा आदि वाहन (सवारी) का रखना पड़े तो नग () तक।

फपड़े तथा कुष्टे के व्यापार करने निमित्त रु० () तक जीन मिल प्रेस आदि कारखाने रखने पड़े तो नग () तक।

किराना आदि का व्यापार करना पड़े तो रु० () तक मनिहारी सामान, कांच आदि का व्यापार करना पड़े तो रु० () तक।

परचूनी व्यापार करना पड़े तो रु० () तक का परिमाण करता हूँ, इसके उपरोंत सब का त्याग करता हूँ।



नियम.

१. मैं एक महीने से अधिक ऐसा अनाज नहीं रखूंगा जिसमें घुना लग सके ।
२. मैं इंसान से चलने वाले मिल आदि कारखाने नहीं रखूंगा क्योंकि इनमें अमूल्य जीवों का घात होता है, जिससे पौर पाप का बन्ध होता है ।



आगार

मैंने जो उक्त मर्यादा को है, इसके सिवा बखशीश की चीज तथा मांगती हुई चीज के बदले कोई चीज आजाय और वह बिके नहीं तब तक रखना पड़े, दयादर्ष्टि से किसी द्विपद चतुष्पद को रखना पड़े, किसी सगे सम्बन्धी की जायदाद को व्यवस्था करनी पड़े, किसी का ट्रस्टी होना पड़े, पंचायत के द्रव्यादि की व्यवस्था करनी पड़े, किसी निरावार की रत्ता करनी पड़े, कम्पनी में भग रखना पड़े, किसी मिल आदि के शेअर खरीदने पड़े किसी योग्य व्यापार की दलाली करनी पड़े, नौकरी करनी पड़े आजीविका का दूसरा साधन न मिलने पर योग्य व्यापार करना पड़े तो मेरे आगार है चतुष्पद आदि का परिवार बढ़े तो उसको रखने का मेरे आगार है।

अध्याय १

१. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
२. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
३. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
४. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
५. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
६. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
७. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
८. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
९. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।
१०. राज्य की शक्ति का अर्थ है कि राज्य को अपने अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है।

२०
२१

२०

२० - २१ - २२ - २३ - २४ - २५ - २६ - २७ - २८ - २९ - ३०

शिक्षा

- १ इच्छा बढ़ाने से बढ़ती है और घटाने से घटती है, ज्यों ज्यों इच्छा बढ़ती है त्यों त्यों असन्तोष और अशान्ति भी बढ़ती है, इस वास्ते शांतिमुख के लिए इच्छा को घटाना चाहिए।
- २ अपने कुटुम्ब के निर्वाह के साथ परमार्थ कार्य में लगा सकने योग्य द्रव्य हो जाने के बाद अधिक असन्तोष नहीं रखना चाहिए, अथवा बड़ा हुआ द्रव्य परमार्थ कार्य में ही लगाना चाहिये।
- ३ परमार्थ कार्य में द्रव्य खर्च करने की इच्छा से अनीति—अन्याय पूर्वक द्रव्य पैदा नहीं करना चाहिए। किन्तु न्याय पूर्वक द्रव्य पैदा करना चाहिए।
- ४ कन्या बेच कर द्रव्य पैदा करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये।
- ५ जाति कुल धर्म और समाज को कलंक लगे और राजा दंड दे सके ऐसे कार्य करके धन संचय करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये।
- ६ अपने ऊपर कुटुम्ब के मनुष्यों का भार हो और निर्वाह योग्य कोई साधन न हो ऐसी दशा में सन्तोष धारण कर या आलसी

बल का धारण से मनास्य पात्र भी अपना नहीं करनी चाहिए।
लेकिन मोक्ष पूर्णक योग्य बनना चाहिये, क्योंकि यही
मनास्य को दुःख से रक्षा कर योग्य बना देता है।

७ न्यायपूर्ण छोटे धन्धों की अपेक्षा अनायुक्त बड़े धन्धे
महा धर्मकर्म तथा अधोगति में पहुंचाने वाले हैं।

८ शक्ति से अधिक व्यय करने वाला जिनका हास्यपात्र है उमही
अपेक्षा शक्ति होने पर भी परमार्थ में व्यय नहीं करने वाला
अधिक हास्यपात्र है। इसलिये शक्ति अनुसार परमार्थ में
द्रव्य लगा कर लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिये।

९ दूसरे की सम्पत्ति देख कर मन में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये।

१० कसौटी खटीक आदि क्रूर हिंसक मनुष्यों को धंधे के लिये
रुपये उधार नहीं देना चाहिए, अथवा उनके धन्धों को
उत्तेजना मिले ऐसा काम नहीं करना चाहिये।

११ धर्म आबरू की रक्षा न हो ऐसे धन्धे व नौकरी नहीं करनी
चाहिये।

१२ किसी के उधार लिये हुए द्रव्य को पीछा नहीं देने की
इच्छा कभी न रखनी चाहिये।

१३ शक्ति से अधिक खर्च नहीं करना चाहिये और न कंजूसी ही
करनी चाहिये, लेकिन उत्तम कामों में यथाशक्ति अवश्य
सहायता करनी चाहिये।

- १४ धर्मार्थ निकाला हुआ द्रव्य धर्मों नहीं खरना चाहिये, किन्तु उसको धर्मार्थ निवृत्त कर देना चाहिये या धर्म कार्य में श्रम कर देना चाहिये । यदि धर्मार्थ निकाले हुए द्रव्य का एक पैसा भी घर-द्वार में आजाय तो बड़ी भारी पूजा की भन्ना देता है ।
- १५ लक्ष्मी चञ्चल है, इसलिये इसका अभिमान नहीं करना चाहिये किन्तु विनीत और विवेकी बन कर लक्ष्मी का लाभ लेना चाहिये ।
- १६ इंजन से चलने वाले मिल प्रेस आदि कारखानों से असेंब्यात प्रस जोषों की हिंसा होती है इसलिये इनका त्याग करना चाहिये इनके श्रेष्ठर भी नहीं खरीदना चाहिये ।
- १७ व्यापार अपनी पूजा और हसियत से अधिक नहीं करना चाहिये ।



बड़ा दिशापरिमाण वन

द्रव्य से—अपने निवास स्थान से जलमार्ग या स्थल मार्ग द्वारा दिशाओं में जाना पड़े तो उत्तर में () कोश पश्चिम में () कोश पूर्व में () कोश उत्तर तथा पूर्व तादि के ऊपर चढ़ना पड़े या हवाई जहाज से ऊँचा जाना पड़े तो () कोश उत्तर और कुछ बावड़ी मौहवा खान आदि में नीचे उतरना पड़े तो () गज तक जा सकूँगा। इससे आगे जाकर पाँच आश्रव सेवन करने का त्याग करता हूँ।

क्षेत्र से—सम्पूर्ण लोक की दिशाओं की उक्त प्रकार से मर्यादा करता हूँ और इसके उपरान्त का त्याग करता हूँ।

काल से—जन्मपर्यन्त उक्त प्रकार मर्यादा करता हूँ और शेष का त्याग करता हूँ।

भाव से—एक करण तीन योग से अर्थात् मन वचन काया से उक्त प्रकार की गई मर्यादा से अधिक न जाऊँगा।



आगार (गृह) मण्डल


—३३६—

जो मैंने दिशाओं की मर्यादा की है, इसके बाहर तार या पत्र व्यवहार करना पड़े, भाल मँगाना या भेजना पड़े, गुमास्ते या वकील को भेजना पड़े तो मेरे आगार है।

राजा आदि की आज्ञा से अथवा आकस्मिक देवीय घटना से की गई मर्यादा को उल्लंघन ही जाय तो मेरे आगार है।

यदि धर्म कार्य निमित्त मर्यादा से बाहर जाना पड़े तो मेरे आगार है !

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन चारों दिशाओं की जो हद्द बांधी है उसके अन्दर की कोई जमीन यदि स्वभाविक ऊँची या नीची हो और वहाँ पर जाना पड़े तो उसका मेरे आगार है।



1934

1934

३३६

१ गुलाब गोंगरा चमया चमेली आदि फूल प्र सुगन्धों को तन्वादि आदि द्रव्य को एक दिन में जाति () तक।

१० पहनने के आभूषण की जाति () कीमत ४० () वजन () तक।

११ धूप करना पढ़ें तो यप में जाति () तक।

१२ पीने की घन्तु दूध खड़ी चाय शर्बत आदि की जाति () प्रतिदिन वजन () तक।

१३ खाने के लिये मिठाई आदि पदार्थों की जाति () एक दिन में वजन () तक।


१४ चाँवल खिचड़ी थूली आदि रांधन एक दिन में वजन () तक।

१५ अगहर (तुघर) उड़द मूंग मटर चने आदि की दाल की जाति () एक दिन में वजन () तक।


१६ दूध दही घी तैल गीठा इस तरह विगय पाँच प्रकार का है, उसका प्रतिदिन वजन () तक, मकखन और शहद महाविगय हैं इनका त्याग करता हूँ, औषधि के लिए आगार है।

१७ हरी शाक की जाति () और सूखी शाक की जाति () (एक दिन में जाति () वजन () तक।

१८ फल की जाति () एक दिन में जाति () वजन () तक।



हरी शाक फल आदि के नाम.




(जिस वस्तु को रखना हो उस पर पेन्सिल का
निशान कर देना चाहिये)

हरी शाक के नाम.

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| १ फकड़ी | १६ मोगरी |
| २ फरेला | २० बालोर की फली |
| ३ भिन्दी | २१ टोंडसी |
| ४ तोरई | २२ टिहोरा |
| ५ चयले की फली | २३ करीश |
| ६ गवार की फली | २४ खीरा |
| ७ मूंग की फली | २५ परवल |
| ८ मटर की फली | २६ गुट्टा (सकई) |
| ९ सेम की फली | २७ हरी मिर्च |
| १० तुवर की फली | २८ आँवला |
| ११ मोठ की फली | २९ लिमोड़ा (बड़गुन्द्या) |
| १२ हरे चने (बूट, झौला) | ३० कंटोला |
| १३ लौकी (आल, लाड, बिया) | ३१ दक्खिनी बटरा की फली |
| १४ खरबूजा | ३२ सरगवा की साँग (फली) |
| १५ काचरा (काचर) | ३३ हरी जुवार |
| १६ काचरी (झोटा काचर) | ३४ हरा बाजरा (मिट्टा) |
| १७ तरबूज (कर्लिदा, मतीरा) | ३५ खंजड़े की फली (सांगरी,
खोखा) |
| १८ बिया तरौई (गिलकिया) | |

- १७ शैल
- १८ कलाश
- १९ चोरी (चोरों का कलाश)
- २० गोट गौरी (गौरी गौरी गौरी)
- २१ गौरी
- २२ गलक
- २३ गडुका
- २४ गौरी (गौरी गौरी)
- २५ गौरी
- २६ गौरी
- २७ गौरी के गौरी
- २८ गौरी
- २९ गौरी के गौरी

- ३६ गौरी
- ३७ गौरी
- ३८ गौरी के गौरी
- ३९ गौरी के गौरी के गौरी
- ४० गौरी के गौरी
- ४१ गौरी के गौरी
- ४२ गौरी के गौरी
- ४३ गौरी के गौरी
- ४४ गौरी के गौरी
- ४५ गौरी के गौरी
- ४६ गौरी के गौरी
- ४७ गौरी के गौरी
- ४८ गौरी के गौरी
- ४९ गौरी के गौरी
- ५० गौरी के गौरी
- ५१ गौरी के गौरी



शब्दों के नाम

- ५२ गौरी
- ५३ गौरी
- ५४ गौरी
- ५५ गौरी
- ५६ गौरी
- ५७ गौरी

- ५८ गौरी
- ५९ गौरी
- ६० गौरी
- ६१ गौरी

हरे फलों का नाम

- १ आम
- २ खरबूजा
- ३ मीठा नींबू (मोसंबी)
- ४ केला
- ५ अमरुद
- ६ नारंगी
- ७ सेब
- ८ अनार (शाहिम)
- ९ अंगूर (द्राक्षा)
- १० सीताफल (सरीफा)
- ११ चकोतरा (पपनूस विजोरा)
- १२ नामपाती
- १३ नारियल फच्चा (टाम)
- १४ अनन्ताम (अनारम)
- १५ कमरख
- १६ पौंटा, ईख (साठा)
- १७ पपीता (परुंड ककड़ी)
- १८ बेर या बोर
- १९ फालसा
- २० खिरनी रावणा
- २१ गोंडा (गुन्दी)
- २२ सफरबन्द
- २३ जामुन काला

- २४ जामुन सफेद
- २५ गुलाब जामुन
- २६ कमलगट्टा
- २७ तरबूज (फलिदा, मतीरा)
- २८ मिथाड़े (सांघोड़ा)
- २९ नींबू हॉट (कागजी नींबू)
- ३० हरी वादाम
- ३१ हाडी कच्ची बुरमानी
- ३२ आह
- ३३ विही (अमरुद)
- ४ लखवट
- ३४ बेल फल
- ३५ राम फल
- ३६ लीची लीचू
- ३७ मोरमिरी
- ३८ सहनूत
- ४० हरी खारक (खजूर)
- ४१ हरी सुपारी
- ४२ हरी इमली
- ४३ हरी सोंफ
- ४४ कपित्थ (कैत-कवीट)
- ४५ टॉवरू (तेंदू)
- ४६ कसेरू

- ४७ चन्दा
- ४८ फीस
- ४९ जाल बुज का फल
(जलाशयिया)
- ५० सरदा
- ५१ प्रतापी नदी (सह्याद्री नदी)

दातव्य (दांन)

- | | |
|------------------|------|
| १ वस्तु की | दांन |
| २ नीम की | " |
| ३ बोरडी की | " |
| ४ तुलेडी की | " |
| ५ कपास के साई की | " |
| ६ बड़ की | " |
| ७ जानन की | " |

सं
निर्वा


}

३० त्यागकर्ता

नोट- जिसको उक्त त्याग व नियम हीनाधिक करना हो वे ऊपर
छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं।

- ऊपर लिखे नामों में से जो मैंने मर्यादा की है इससे अधिक का मैं त्याग करता हूँ।
- १८ किसमिस (दाख) वागम पिशता चिरौंजी (चारौली) छुहारे
खुरवानी केला पिंडखजूर आदि मीठे फल की जाति ()
एक दिन में वजन () तक।
- १९ भोजन एक दिन में वजन () जाति ()
तक।
- २० पीने के लिए पानी एक दिन में वजन () वार-दफे
() तक।
- २१ तांबूल (पान) इलायची लोंग सुपारी जावित्री नायफल
आदि मुख को सुगंधित करने वाली वस्तु की जाति ()
एक दिन में वजन () तक।
- २२ वाहन चार प्रकार के होते हैं, चरने वाले, फिरने वाले तैरने
वाले और उड़ने वाले।
चरने वाले घोड़े ऊंट बैल हाथी आदि सवारी एक दिन में
() तक।
- फिरने वाले वाहन गाड़ी मोटर लॉरी बग्घी ताँगा साईकल
वहेली रथ आदि एक दिन में () तक।
- तैरने वाले वाहन नाव स्टीमर जहाज आदि एक दिन में
() तक।
- उड़ने वाले वाहन हवाई जहाज बेलून आदि एक वर्ष में
() तक।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १५ ॥

नियम

- १ मैं सप्त व्यसन (मांसभक्षण, मद्यपान, शून्यवीडा-जूवा खेलना, वेर्यागमन, परस्त्रीगमन, शिकार और चोरी) का त्याग करता हूँ ।
- २ मैं हरे शाक के व्यापार तथा अचार मुखवा वनाधर व्यापार करने का त्याग करता हूँ ।
- ३ मैं फूलों को शाक नहीं खाऊँगा, क्योंकि फूल में त्रस जीव रहते हैं ।
- ४ मैं बाजार का अचार नहीं खाऊँगा, और घर का वना दुआ अचार भी अधिक काल का अर्थात् दिन () से ज्यादा दिन का नहीं खाऊँगा ।
- ५ मैं कन्द मूल का भक्षण नहीं करूँगा, क्योंकि कन्द मूल में अनन्त जीव होते हैं ।
- ६ लोहार सुनार ठंठारा छीपा नीलगर रंगरेज घोवी आदि का धन्या न करूँगा । यदि इनकी वनाई हुई वस्तुएं बेचनी पड़े तो उसका आगार है ।
- ७ लम्बारा भड़भूँजा चूनीगर भट्टियारा आदि का काम न करूँगा और करवाऊँगा । घर स्वर्च के लिये छूट ।
- ८ मैं नाटक सरकस नट और वाजीगर का खेल ख्याल (रम्मत) भाँडचेष्टा गायन आदि करके या दूसरों से करा के आजीविका नहीं करूँगा ।

१ जैसे गोबी आदि फूल ।


२१) मैंने ही साधना के द्वारा मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, सब मैंने ही () तक।

२२) मैंने ही साधना के द्वारा सब साधकों को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, सब मैंने ही () तक।


२३) मैंने ही साधना के द्वारा सब साधकों को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, सब मैंने ही () तक।

२४) मैंने ही साधना के द्वारा सब साधकों को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, सब मैंने ही () तक।

मैंने ही साधना के द्वारा सब साधकों को जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, सब मैंने ही () तक।



आगार



- १ अपने वा किसी सम्बन्धी के चाल बच्चे आदि का नाक कान बिधाना पड़े तो आगार है ।
- २ जो मैंने पहनने ओढ़ने बिछाने के कपड़े की मर्यादा की है, इसके उपरांत किसी कपड़े का शरीर से स्पर्श हो जाय तो आगार है ।
- ३ यद्यपि नशे की चीज शौक से न पीऊंगा, तथापि विशेष कारण से यदि पीना पड़े तो आगार है ।
- ४ जो मैंने हरी शाक फल आदि का त्याग किया है, उसमें से भी यदि औषधि आदि में जरूरत पड़े तो आगार है ।
- ५ जो मैंने वाहन की मर्यादा की है, उसमें रेलगाड़ी ट्राम्वे पर चढ़ने का आगार है ।
- ६ यदि त्याग की हुई वस्तु वा भूल से मिश्रण हो जावे, अन जाने या उपयोग न रहने से वह वस्तु काम में आजावे, लग्न व मृत्यु के समय तथा किसी उत्सव पर या दुष्काल के समय, यदि त्याग की हुई वस्तु का इस्तेमाल करना पड़े तो आगार है ।
- ७ सूखी लकड़ी वा सूखे घास का व्यापार करना पड़े तो आगार है ।
- ८ मिल प्रेस आदि में आने वाले सामान का व्यापार करना पड़े तो आगार है ।
- ९ जो मैंने जूते की मर्यादा की है, यदि जूता खो जाने पर फिर पहनना पड़े तो आगार है ।

अतिचार (शोष)

मानस्ये जल मे २० अतिचार है। इन में से आदि के अतिचार भोजन सम्बन्धी है और बाकी में १३ अतिचार व्यायाम सम्बन्धी है।

भोजन के पांच अतिचार

भोजन के पांच अतिचार.

१. जिम मचित्त वस्तु का त्याग किया है, वह वस्तु पूर्ण तरह अचित्त न हुई हो तो भी दमना भक्षण करना अथवा नयादा में अधिक मचित्त वस्तु का भोग करना।
 २. मचित्त वस्तु मिली हुई अचित्त वस्तु का आहार करना।
 ३. अधूरं पके हुए पदार्थ का आहार करना।
 ४. अविधि ने पकाये हुए (भड़ाने आदि) का आहार करना।
 ५. जिम वस्तु में खान योग्य भाग थोड़ा हो और फेंकने योग्य भाग अधिक हो, ऐसी वस्तु का आहार करना।
- ये भोजन के पांच अतिचार हैं, इनको त्यागना चाहिये।



पन्द्रह कर्मदान की मर्यादा के अतिचार



१. **इंगालकर्म**—चना इंट कोयला कांच कुम्हार का वर्तन आदि जो भट्टी से पकाया जाता है उसका तथा इंजन से चलने वाले कारखाने का, तथा लोहार सुनार ठठारा (कसारा) हलवाई भड़भूजा भटियारा रंगरेज धोवी और नियागगर का काम काके आजीविका करने का त्याग । यदि इनकी बनाई हुई वस्तु बेचनी पड़े तो एक वर्ष में रुपिया () की मर्यादा, इससे ज्यादा का त्याग किन्तु घर खर्च के लिए छूट ।

२. **वनकर्म**—वन के हर वृक्ष तथा घास कटवा के आजीविका निमित्त बेचने का त्याग । यदि सुखी लकड़ी की व्यापार करना पड़े तो एक वर्ष में रु० () का इसके उपरांत का त्याग ।

३. **साड़ीकर्म**—गाड़ी इक्का बरघी आदि वाहन बना के तथा नील (गुली) आदि सड़ा कर बेचने का त्याग ।

४. **भाड़ीकर्म**—ऊँट घोड़ा बैल आदि त्रस जीवों के उपर भार लाद के भाड़ा कमाने का तथा रथ गाड़ी बैल इक्का बघी हल जहाज बोट डोंगी मोटर लारी साइकल आदि आजीविका के निमित्त भाड़े देने का त्याग । यदि अपने सवारी के लिए घर में रक्खा हो या लेने (पावनी) पेटे या गया उसे भड़े देना पड़े तो बात दूसरी ।

२. कोरीकर्म—पशु को पलाश, आमरक आदि की पान, कृष्ण कावरी तथा पान आदि सोडन सूतान का व्यापार करने का त्याग।
३. दंतवाणिज्य—हाथीदांत, पेशाब कम्बूरी आदि का नये सर से व्यापार करने का त्याग, यदि व्यागे का हो तो वर्ष एक में () से ज्यादा का त्याग। और मीप, शंग, मींग कोंड़ी, बाप के नल, हिरन नाचादिक का चर्म का सर्वथा त्याग।
७. लक्ष्मवाणिज्य—लाग चपडा मेनमिल गालुन और शोरा नमक आदि गारे पदार्थ का नये सर से व्यापार करने का त्याग, यदि व्यागे का हो तो वर्ष एक में ५० () से ज्यादा का त्याग।
८. रसवाणिज्य—निकृष्ट रस-मधु (शहद) मश चर्वी मत्तखन आदि बेचने का त्याग। उत्कृष्ट रस-दूध इही गुड़ शक्कर तैल आदि का व्यापार करना पड़े तो वर्ष एक में ५ () की मर्यादा और इससे ज्यादा का त्याग।
९. केशवाणिज्य—चमरी, गाय आदि पशुओं के केश तथा पत्तियों के पांख तथा चमड़ा आदि के व्यापार करने का त्याग। यदि उन आदि का व्यापार करना पड़े तो वर्ष एक में ५० () से ज्यादा का त्याग।

१. इसी वाणिज्य में अन्याविक्रय-पुत्रीविक्रय और पशुविक्रय आदि ग्रहण किये जाते हैं क्योंकि केशवाणिज्य व्यापार का अर्थ ही यह है—केश वाले जीवों का व्यापार करना।

- १० विषवाणिज्य—सखिया आदि विपैले पदार्थ का तथा जीव-घातक अस्त्र शस्त्र आदि का व्यापार करने का त्याग । इन में से यदि अफीम का तथा चाकू छुरी आदि छोटे-छोटे शस्त्रों का व्यापार करना पड़े तो वर्ष एक में रु० () से ज्यादा का ।
- ११ यंत्रपीड़नकर्म—चरखे मिल प्रेस कोलू चक्की घाणी आदि वंधा दोपजनक है, इसलिए नयेसर से इसका व्यापार करने का त्याग, यदि आगे का हो तो नग () रु० ()
- १२ निल्लंछणकर्म—वैल आदि को नपुसंक बनाने का, ऊँट वैल आदि का नाक छेदने का, भेड़ बकरी आदि के कान चीरने का व्यापार निमित्त त्याग ।
- १३ दवाग्निकर्म—जंगल गांव घर गोदाम आदि में आग लगाने का त्याग ।
- १४ सरदहतनाव-परिशोषणकर्म—झील तालाव कुण्ड आदि को आजीवि का निमित्त सुख न का त्याग ।
- १५ असईजण-पोषण—आजीविका तथा शौक के लिए बेश्याओं का, दुश्चरित्र स्त्रियों का पोषण करना, तथा कुत्ते बिल्ली तीतर बाज आदि हिंसक प्राणियों का शिकार निमित्त प्रालन पोषण करने का त्याग तथा शौक के लिए रखने का त्याग । दयादृष्टि से यदि पालन करना पड़े तो दूसरी बात है ।


इन में से किसी का त्याग करना पड़े ही ऊपर गयी हुई
की मर्यादा, इत्यदि उपरान्त का त्याग । यदि आइतिया के लिये
नौकरी होने में राजा की आशा में पराधीनता में दुःकाल आदि
भारी विपत्ति के कारण कोई काम करना पड़े तो आगार है ।

सं०
मिति

}

द० त्यागकर्ता-

शिक्षा



रात्रि में या अन्धेरे में भोजन नहीं बनाना चाहिए, और न
करना ही चाहिए, क्योंकि रात्रि और अन्धेरे में छोटे-छोटे जन्तु
नहीं दिखाई देते हैं, इसलिये उनकी रक्षा होना असंभव है। दिन
में सूक्ष्म जन्तु सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर एक जगह स्थिर रहते
हैं, और रात्रि में उड़ने लगते हैं, वे भोजन में गिर कर मृत्यु को
प्राप्त होते हैं। इसके सिवा किसी

नोट— जिसको उक्त त्याग व हिनाधिक करना हो वे ऊपर छोड़ी
हुई जगह में कर सकते हैं ।

जहरीले जानवर के गिरने से शरीर को भारी हानि पहुँचती है। इसलिए रात्रि और अन्धरे में भोजन नहीं बनाना चाहिये, और न करना ही चाहिये। जहाँ तक बन सके रात्रि में जल भी नहीं पीना चाहिये।

२. झलवाड़े का धन्धा नहीं करना चाहिये, क्योंकि इस धन्धे में खींची चाँटे मक्खी मच्छर आदि जीवों का घात होता है।
३. गाड़ी बैल आदि पर अधिक भार नहीं लादना चाहिये और न जल्दी पयु पर सवारी करनी चाहिये। तांगा आदि में मर्यादा से अधिक सवारी होने पर नहीं चढ़ना चाहिए।
४. परिमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिये तथा दोर बार भोजन नहीं करना चाहिये। अनियमित भोजन करने से शरीर विगड़ता है, आदत खराब होती है, तथा अजीर्ण आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं।
५. अधिक समय का अचार सुरच्चा और शर्वत काम में नहीं लाना चाहिये, क्योंकि इनमें प्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं।
६. फूल की कोशाफ कदापि नहीं खाना चाहिये, क्योंकि फूल में प्रस जीव रहते हैं।
७. अज्ञात (अजाना) फल या अज्ञात वस्तु के खाने से कभी कभी बड़ी भारी हानि पहुँचती है। इसलिये अनजानी वस्तु नहीं खानी चाहिये।
८. जहाँ तक बन सके ऐसी विदेशी दवा नहीं खानी चाहिये, जिसमें मद्य मांस की आशंका हो, तथा जिसमें रुधिर हड्डी का चूर्ण लंगता हो ऐसी विदेशी शकर आदि भृष्ट करने वाली चीजों को नहीं खाना चाहिये।

५. कर्मापप्रमादानम्... कर्माप प्रमाद का आदान का कर्मादिक का निमित्त मिलने पर कर्मादि करने में संपन्न करना ।

हिमादान—जिनमें जीवी को हिमा रोमी है, जैसे नमस्कार करने वाली पापदा आदि मन्त्रों द्वारा को देना, या निर्मादिक का संपन्न करना महा-पाप करने का कारण हिमादान करने होता है । इसलिये इनमें करना चाहिए ।

पापकर्मोपदेश—निर्भंक पापकर्म (मोती करना भक्तान करने आदि का उपदेश देना पापकर्मोपदेश है । इस तरह चार प्रकार के अनभिदण्ड का त्याग करना है ।




नियम

- १ मैं बिना प्रयोजन जमीन नहीं खोदूंगा, पानी नहीं ढोलूंगा, अग्नि नहीं जलाऊंगा, पंखा आदि से हवा नहीं करूंगा, वनस्पति न छेदूंगा न काटूंगा।
- २ मैं जानबूझ कर दूसरों को खोटी सलाह नहीं दूंगा।
- ३ मैं दूसरों को अन्याय मार्ग पर चलने का उपदेश नहीं दूंगा।
- ४ मैं विवाह आदि में आतिशबाजी न छोड़ूंगा न छुड़वाऊंगा और न इसकी सम्मति दूंगा।

आगार

- १ लोक व्यवहार से किसी का वियोग होने पर रुदन रोना आदि आर्चन्यान् करना पड़े तो इसका मेरे आगार है।
- २ मन बस में न रहने से अथवा कोमल स्वभाव होने से बिना द्वेष द्वि के यदि आर्त्तरोद्धान हो जाय तो वात अलग है।
- ३ उपयोग न रहने से तैल वी आदि के वर्तन उगाड़े रह जाय तो वात अलग है।
- ४ चाकू छुरी सरौता वर्तन आदि वस्तुएं किसी स्वजन सगा सम्बन्धी को देनी पड़े तो आगार है।
- ५ स्वजन के हितार्थ या अनुकम्पा के निमित्त किसी काम का उपदेश या सम्मति देनी पड़े तो इसका मेरे आगार है।

अतिचार (दोष)



- १ काम को उत्पन्न करने वाली कथाएं करना, भगवद्वचन बोलना ।
 - २ दूसरे को हंसाने के लिए भांडों की तरह हंसी मजाक करना, किसी की नकल करना ।
 - ३ डीठता से निरर्थक बोलना ।
 - ४ पूरी तरह काम देने वाले कुत्तल मूसल तलवार आदि हथियार या औजार बनाना ।
 - ५ उपयोग या परिभोग में आने वाली खाने पीने पहनने आदि की वस्तुओं का अधिक संग्रह करना ।
- ये अनर्था वण्ड के पांच अतिचार हैं, इनको त्यागना चाहिये ।

सं०
मिति

६० त्यागकर्ता—

जिसकी उक्त त्याग व नियम में हीनाधिक करना हो वे अगर छोड़ी हुई जगह में कर सकते हैं ।

शिक्षा



श्रवण के समय डेधर उधर की गर शप नहीं करना चाहिये ।
 आत्मा के भावों को विगाड़ने वाली श्रुतार रस की, किस्से
 कहानियों की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए और न सुननी चाहिए ।
 वाश चौपड़ शतरंज आदि नहीं खेलना चाहिए । पतङ्ग उड़ाने
 का व्यसन नहीं रखना चाहिए । क्योंकि दुर्लभ विन्ताभणि
 रत्न के समान पुण्योदय से प्राप्त हुए इस मनुष्य जन्म को ऐसे
 निरर्थक कामों में बिताना भारी गुरुता है, किन्तु फुरात के
 समय विद्वान् पुरुषों की बड़ों की संगति करनी चाहिए, समाज
 धर्म और देश की उत्थति के उत्तम काम करने चाहिए, चारित्र्य
 को निर्मल बनाने वाली आदर्श पुस्तकें पढ़नी या सुननी
 चाहिये या अन्य धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिये ।
 जब मनुष्य निठल्ला होता है, तब उसके मन-मानसगेवर में
 अनेक प्रकार के बुरे विचार रूप तरंगें उठा करती है जिस से
 उसका अधःपतन होता है, इसलिये आत्मा के शुभचिन्तको को
 चाहिये कि इन दुर्बिचारों को रोकने के लिये बेकार नहीं
 रहना चाहिये, किन्तु आत्मा को उन्नत बनाने वाले काम
 करते रहना चाहिये ।

३ हांली या विवाहादि के समय कई स्त्री पुरुष निर्लज्ज गीत
 गालियाँ गाते हैं, तथा भगवद् वचन बोलते हैं, ये काम मनुष्य
 जीवन को विगाड़ने वाले हैं, इसलिये उत्तम मनुष्यों को चाहिये
 कि ऐसे कामों से दूर रहे और ऐसे पुरुषों की संगति भी न करें ।

अग्नि की मर्गादा



- १ चालू रमोई करनी या करवानी पड़े तो एक दिन में चूल्हे नग () इनके अलावा जाति या मंत्र का जीवन या दूसरे रसोई में अभिक आरम्भ करना पड़े तो उसका मेरे आगार है।
 - २ दीपक बत्ती आदि करनी या करवानी पड़े तो एक दिन में नग () दीवाली के भौके पर नग () इसके उपरॉत उत्सव या राजा के दुःख से रोशनी करनी पड़े तो उसका मेरे आगार है।
 - ३ शोक से या विवाहादि उत्सव पर आतिशवाजी तथा बारूद आदि के फटाके बगैरह नहीं छोड़ने चाहिये क्योंकि इनसे ब्रह्म जीवों का भी घात होता है। यदि बाल बच्चों के निमित्त या दीवाली के रिवाज के अनुसार कदाचि छोड़ने या छुड़वाने पड़े तो उसका मेरे आगार है।
 - ४ बीमार सौर (सुवाड़) या ठड के क रण सिगड़ी आदि जलानी पड़े तो एक दिन में नग ()।
 - ५ किसी कारण से धूनी आदि करनी पड़े तो एक दिन में नग ()।
 - ६ धूप करना पड़े तो एक दिन में () रुपये भर।
- * जलते हुए दीपक में तेल डालना या उसकी बत्ती बढ़ानी पड़े तो वह एक ही दीपक गिना जाता है।

मोमवत्ती या अगवत्ती आदि लगानी पड़े तो एक दिन में नग () ।

दियासलाई की पेटो काम लानी पड़े तो एक दिन में पेटो नग () ।

आगार

अग्नि को एक जगह से दूसरी जगह डालते, अग्नि लगने पर या और किसी अवसर पर अग्नि बुझाते, किसी मामले पर बन्दूक आदि चलाने, कारणवश से पेट आदि पर दाग आदि देते, लोहार आदि के यहां काम करवाते अग्नि की हिंसा हातो है उसका मेरे आगार है ।

वायु की मर्यादा

जिन उपकरणों से वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, उनकी काम में लाना पड़े तो उसकी मर्यादा—

किले की पालखी एक दिन में नग () छोटे वड़े पंखे नग ()

() ऊखल मुसल नग () , चरखे नग ()

कालके नग () , सूप नग () , बुहारा-बुहारीनग ()

() हलामदस्ते नग () पलने मचली नग ()

() खरल, सिल, औरसिया, चकला बेलन नग ()

हारमोनियम, पियानो, फोनोग्राफ, सारंगी, तबला, आदि वादित्त नग () , इनके उपरान्त का नियम । इतनी चीजों का

मान एक दिन का समझना चाहिए ।

आगार (४२)

१ नाल मरवनी के कारण पंचांगिन पचाने, अंगार के अर्थ पचाने आदि मताने, शरीर के अवन शक्ति पर पचन करी, कीर्त अंगार काल काचने, किमी पचाने को एक अंगार में दूसरे अंगार पर लाने शरीर मरवनी रिपाको को करी वापुअव को आंगार काना पड़े ना में अंगार है।

वनस्पति की मर्यादा

— १ —

- १ अपने लोगों के लिए हर भाग के भागें लेने या लियाने पड़े तो एक दिन में मन () ।
- २ अरापाम लेना पड़े तो एक साल में गाड़ी मन () ।
- ३ गेत, माटा वगैरह में काटना भीदना पड़े तो एक दिन में बीघा () ।
- ४ शाक सुखाने के लिए, अचार वगैरह के लिए वनस्पति लेनी या लियानी पड़े या छेदनी छिदानी पड़े तो एक दिन में मन () । इसमें जाति - जीमन, विषह अदि की रसाई वगैरह का आगार।
- ५ अचार ढालना पड़े तो एक साल में मन () ।
- ६ शाक आदि सुखानी पड़े तो एक साल में मन () ।
- ७ अपनी वाड़ी आदि का शाक फल वगैरह तोड़ने तुड़वाने पड़े तो एक दिन में मन () ।


- ८ पीसना पीसाना दलना दलवाना पड़े तो एक दिन में मन () ।
 ९ भिगौना-भिगवाना पड़े तो एक दिन में मन () ।
 १० सूप आदि से भटकना भटकवाना पड़े तो एक दिन में मन () ।
 ११ नाज आदि उफलना उफलाना पड़े तो एक दिन में मन () ।
 १२ श्रीफल आदि तोड़ना तुड़ाना पड़े तो एक दिन में मन () ।
 १३ सुपारी तोड़नी तुड़ानी पड़े एक दिन में सेर () ।
 १४ सचित्त जीरा आदि काम में लाना पड़े तो एक दिन में सेर () ।
 १५ अपने खेत या वाड़ी का नाज वगैरह काटना कटवाना पड़े तो एक वरस में मन () ।

आगार

१ पृथ्वी, पानी, अग्नि का आरम्भ करते हिलते चलते मिहनत मजदूरी करते, वस्तु को उठाते रखते, दुष्कालादि में शरीर का निर्वाह करते, सम्वन्धी आदि के कारण वनस्पति की हिंसा करनी पड़े तो मेरे आगार है ।



देशविरति के बारह व्रत निश्चय और व्यवहार से क्रमशः दिखलाते हैं—




१ प्राणातिपात-विरमण व्रत ।

दूसरे जीव को अपने समान जानकर उसकी रक्षा करनी, उसे दुःख न देना-मारना नहीं, वह व्यवहार से प्राणातिपात-विरमण, अर्थात् अहिंसाव्रत है। अपनी आत्मा कर्म के बश होकर दुःखी हो रही है, ऐसा जानकर उसे कर्मबन्धन से छुड़ाना, आत्म-गुणों (ज्ञान दर्शनादि भावप्राणों) की रक्षा करना और उनकी वृद्धि करना, यह निश्चय से प्राणातिपात विरमण व्रत कहा जाता है।

२ मृपावाद-विरमणव्रत ।

असत्य-भूठ वचन न बोलना, यह व्यवहार से मृपावाद-विरमण व्रत है। किसी भी पौद्गलिक चीज को अपनी कहना, जीव को अजीव या अजीव को जीव करना सिद्धान्तों का भूठ और निरपेक्ष या एकान्त अर्थ कहना, यह सब निश्चय-मृपावाद है, इन सब के त्याग को निश्चयमृपावाद-विरमण व्रत कहते हैं। अदत्तोदान आदिक व्रतों को तोड़ने से केवल चरित्र का ही भंग होता है, परन्तु इस व्रत का खण्डन करने से तो सम्यक्त्व ज्ञान और चरित्र इन तीनों का नाश होता है। इसी से सिद्धांत में कहा गया है कि जो साधु चतुर्व्रत का खण्डन करता है, वह प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध हो सकता है; लेकिन जो साधु सिद्धांत-

सुत्रों के अर्थ का मूपा उपदेश देकर इस व्रत को तोड़ता है, उसकी शुद्धि आलोचना-प्रायश्चित्त से भी नहीं हो सकती। कारण यह कि जो अन्य व्रतों का सखण्डन करता है, वह केवल अपनी ही आत्मा को मलिन करता है किन्तु जो सिद्धान्तों वा मूपा-उपदेश देता है, वह दूसरे जीवों की आत्मा को भी मलिन करता है। इसलिये भव्य प्राणियों को उचित है कि वे ऐसे मिथ्या-उपदेश देने वाले, जो इस दुःपम काल में दुःस्वप्न-भ्रम या मोह-भ्रम-गर्भित गौराग्य को प्राप्त कर तृष्णा-नदी में वहते हुए नजर आते हैं उनके सङ्ग से अपने को बचाये।



३ अदत्तादान-विरमण व्रत

परकीय चीज को उसके मालिक की बिना आज्ञा बिना, अर्थात् चोरी, धूर्तता, बदमाशी या चालाकी से दूसरे की चीज वा ग्रहण करना अदत्तादान है और उससे त्याग को व्यवहार से अदत्तादान-विरमण व्रत कहते हैं। निश्चय से अदत्तादान-विरमण व्रत यह होता है कि पांचों इन्द्रियों के तईस विषय, आठ कर्मों की वर्गणा आदि पर (आत्म-भिन्न) वस्तुओं के ग्रहण करने की इच्छा तक न करना। यहाँ पर कोई प्रश्न कर सकता है कि इन्द्रियों को और कर्मों को ग्रहण करने की इच्छा करता ही कौन है? इसका उत्तर यह है कि जो पुरुष वीतराग प्रभु के वचनों को ठीक ठीक नहीं समझता और पुण्य के हेतु-भूत शुभ क्रियाएँ करता रहता है 'आत्मस्वरूप को बिना जाने पुण्य की इच्छा प्रायः

बहुत लोगों को हुआ करती है वे पुण्य कर्म में जिसके ४२ भेद हैं शीघ्र प्रवृत्ति भी करते हैं, यह पुण्य की इच्छा करना अर्थात् वाह्यभावों को आत्मीय समझ कर ग्रहण करना या अपना कर्त्तव्य न समझ कर उसके फल की वांछा करना ही निश्चय अदत्तादान है इसके त्याग को अर्थात् निष्काम-धर्म को निश्चय से अदत्तादान विरमण व्रत कहते हैं ।

४ मैथुन विरमण व्रत ।

स्त्री का त्याग करना पुत्र के लिये और पुरुष का त्याग करना स्त्री के लिये मैथुन-विरमण व्रत है । साधु को सर्वथा स्त्री का त्याग होता है और गृहस्थ को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री का । इस त्याग को व्यवहार से मैथुन-विरमण व्रत कहते हैं, और विषयों की अभिलाषाओं का—तृष्णा का त्याग करना, निश्चय से मैथुन-विरमण व्रत कइलाता है । आत्मा स्वगुण ज्ञान आदिक को भोगी है, न कि परवस्तु-पौरुषलिक वर्णादिक का पुण्डल-स्कंध अनंत जीवों की जूठन है, ऐसे निश्चय-ज्ञान से अन्तर ज्वलोलुपता का त्याग न कर केवल वाह्य विषयों का त्याग करने पर भी मैथुन-कर्म लगते हैं ।

५ परिग्रहपरिमाण व्रत ।

धन, धान्य दास, दासी, चतुष्पदः पशु घर, जमीन. वरः

और धारण के लक्षणों को परिग्रह करते हैं। वायु के लिये इन सब चीजों का सर्वथा त्याग होता है और गृहस्थों को इन चीजों का उच्चा परिणाम होता है, क्योंकि जिसकी जितनी इच्छा हो उतने त्याग का त्याग होता है। उन स्थानों की व्यवहार-परिग्रहण परिमाण व्रत कहते हैं, राग द्वेष अज्ञान, ज्ञानावस्थायी आदि आठों कर्म शरीर इन्द्रिय आदि आत्मा-भिन्न वस्तु को पराई जानकर छोड़ना अर्थात् पावस्तु में मूर्च्छा-ममता का त्याग करना यह निश्चयपत्रिह परमाणु व्रत है।

६ दिशा-परिमाण व्रत ।

पूर्व पश्चिम उत्तर-दक्षिण, ऊर्ध्व और अधः (नीचे) की दिशाओं में गमन-आगमन के लिये अमुक हृद् बांधकर बाधों का त्याग करना। जैसे कि पूर्ण दिशा में सौ काश तक में गमन आगमन कहेंगे, इससे आगे नहीं इसको व्यवहार दिशापरिमाण व्रत कहते हैं। चारों गति में भ्रमण करना यह कर्मों का फल है, सुगति और दुर्गति में पहुँचाने वाले शुभाशुभ कर्म हैं, ऐसा जान कर उदासीन रहना और मिद्ध-अवस्था की उपादेयता स्वीकार करना निश्चय दिशा परिमाण व्रत कहलाता है।

७ भोग-उपभोग-परिमाण ।

भोजन आदि जो एक ही वार भोगने में आते हैं, उनको भोग और वस्त्र वगैरह जो अनक वार भोग में आते हैं, उन्हें उपभोग

कहते हैं उनका परिमाण करना, अर्थात् इच्छा के अनुसार छूट रखकर बाकी का त्याग करना यह व्यवहार से भोग उपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। यद्यपि व्यवहार से कर्मों का कर्ता और भोक्ता जीव है तथापि निश्चय से कर्ता और भोक्ता कर्म ही है परन्तु आत्मा अज्ञानेश्वर अनादि से पराभावों का भोगी होता हुआ पर वस्तुओं का ग्राहक और रक्षक भी हुआ, अर्थात् आत्मा की ज्ञायकता, ग्राहकता भोजकता और रक्षकता विगड़ने से उसकी कर्तृता भी विगड़ी। यही कारण है कि वह पर-भाव रङ्गी होता हुआ आठों कर्मों का भी कर्ता हुआ है किन्तु वास्तव में वह अपने स्वभाव का ही कर्ता है परन्तु कारणों के आवृत्त होने से वह स्वकार्य नहीं कर सकता है और विभावों को करता है, अज्ञानी जीव को उपयोग मिला है, परन्तु अशुद्ध उपयोग है, इसलिये वह भिन्न है। आत्मा ही जिन गुणों का अर्थात् वाह्यरूप भावों का जिसमें भोगो-भोग न हो कर्ता और भोक्ता है स्वल्प-अनुरागी परिणाम को निश्चय से भोगो-पभोग-परिणाम व्रत कहते हैं।

८ अनर्थदण्ड-विरमण व्रत ।

विना ही प्रयोजन के अपने को पाप-पत्यों में लगाना-हिंसादि अनर्थदण्ड है जैसे कोई आदमी हाथ में छड़ी लेकर सैर करने को बगीचे में जाता है, चलते चलते अपनी लकड़ी की घुमाता हुआ वृक्ष के पत्तों को विना ही प्रयोजन तोड़ता है, जिससे पत्तों को

तो दुःख यावत् मरण होता है और इसमें उस आत्मा का कुछ भी काम नहीं निकलता। ऐसे व्यर्थ पापों को छोड़ना, व्यवहार अनर्थदण्ड-विरमण व्रत है। जीव मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, योग आदि से शुभाशुभ कर्मों को बँध करता है कि सुख दुःख कारण करता है जो कि सुख दुःख कारण होता है उन कर्मों के कारणों से अपने को बचाना अर्थात् उन कर्मों के कारणों का अपने पर असर न होने देना ही निश्चय से अनर्थदण्ड विरमण व्रत है।

९ सामायिक व्रत

मन वचन और काय के आरम्भों को छोड़ कर एकान्त में नियमानुसार बैठना या पुस्तकादि पढ़ना अथवा जप करना व्यवहार सामायिक है। अपने ज्ञान दर्शन और चारित्र गुण की विचारणा करना और सर्व जीवों की सत्ता एक समान जान कर सर्व जीवों के साथ समभाव रखना, निश्चय सामायिक व्रत है।

१० देशायकाशिक व्रत

मन, वचन और काय के योगों को पूर कर एक स्थान में बैठ कर धर्म ध्यान करना व्यवहार देशायकाशिक व्रत है। धर्मज्ञान से छहों द्रव्यों को जान कर, पांच द्रव्यों को छोड़ जानने का ही ध्यान करना निश्चय-देशायकाशिक व्रत है।

११ पौषध व्रत

चार या आठ प्रहर तक सब सावण कर्मों का त्याग कर

समता परिणाम से स्वाध्याय में प्रवृत्ति करना, व्यवहार पौषध और अपने आत्मा को ज्ञान-ध्यान में पुष्ट करना, निश्चय पौषध व्रत कहलाता है।

२ १ अतिथिसंविभाग व्रत ।

पौषध के पारने के (समाप्ति के) समय या सर्वादा साधु को या साधार्मिक भाई को यथाशक्ति भोजनादि दान देना व्यवहार से अतिथिसंविभाग व्रत है स्वजीव को, शिष्य को या गृहस्थ को ज्ञान देना पढ़ाना सिद्धान्तों का श्रवण करना और कराना निश्चय से अतिथिसंविभाग व्रत है।

ये वारह व्रत कहे गये। जो जीव इन व्रत को सम्यक्त्व के साथ निश्चय और व्यवहार से धारणा करे उस जीव को पंचम गुण स्थान का अधिकारी या देशविरति श्रावक कहते हैं देश अर्थात् अंश से विरति त्यागदेश-विरति का अर्थ है। सब प्रकार के त्याग को सर्व-विरति कहते हैं। यह सर्व विरति साधु को होती है साधु के पाँच महान्नत में इन वारह व्रतों का समावेश हो जाता है। व्यवहार और निश्चय से पूर्वोक्त व्रतों का पालन करना और ज्ञान ध्यान संवर तथा निर्जरा में आत्म परिणाम को स्थिर करना ही निश्चित-चारित्र्य है।

॥ श्री श्रावक के व्रत समाप्त ॥



तो दुःख यावत् मरण होता है और इससे उस आदमी का कुछ भी काम नहीं निकलता । ऐसे व्यर्थ पापों को छोड़ना, व्यवहार अनर्थदण्ड-विरमण व्रत है । जीव मिथ्यात्व, अविरति कपाय, योग आदि से शुभाशुभ कर्मों को बँध करता है कि सुख दुःख कारण करता है जो कि सुख दुःख कारण होता है उन कर्मों के कारणों से अपने को बचाना अर्थात् उन कर्मों के कारणों का अपने पर असर न होने देना ही निश्चय से अनर्थदण्ड विरमण व्रत है ।

९ सामायिक व्रत

मन वचन और काय के आग्भों को छोड़ कर एकांत में नियमानुसार बैठना या पुस्तकादि पढ़ना अथवा जप करना व्यवहार सामायिक है । अपने ज्ञान दर्शन और पारित्रि गुण की विचारणा करना और सर्व जीवों की सत्ता एक समान जान कर सर्व जीवों के साथ समभाव रखना, निश्चय सामायिक व्रत है ।

१० देशावकाशिक व्रत

मन, वचन और काय के योगों को दूर कर एक स्थान में बैठ कर धर्म ध्यान करना व्यवहार देशावकाशिक व्रत है । श्रुतज्ञान से छहों द्रव्यों को जान कर, पांच द्रव्यों को छोड़ ज्ञानवन्त जीव का ही ध्यान करना निश्चय-देशावकाशिक व्रत है ।

११ पौषध व्रत

चार या आठ प्रहर तक सब सावद्य कर्मों का त्याग कर

समस्त परिणाम से स्वा-त्मान के पतन-वर्जित, परमात्म-पौषण और स्वयंसे परमात्मा से ज्ञान-प्राप्त के पथ पर चलना, निश्चय-योग्य व्रत कह जाता है ।

२ अनिश्चित-विभाग का ।

पौषण के परमे के (समाप्त के) समय या सर्वोपरि साधु की या साधामिक भाई को यथाशक्ति भोजन-दि-दान देना व्यवहार से अनिश्चित-विभाग का है । साजीव को, शिष्य को या गृहस्थ को ज्ञान देना पढ़ाना सिद्धा-न्तों का अवगण करना और कराना निश्चय से अनिश्चित-विभाग व्रत है ।

ये वारह व्रत कहे गये । जो जीव इन व्रत को सम्यक्त्व के साथ निश्चय और व्यवहार से धारणा करे उस जीव को पंचम-गुण स्थान का अधिकारी या देशविरति श्रावक कहते हैं देश-अर्थात् अंश से विरति त्याग-देश-विरति का अर्थ है । सब प्रकार के त्याग को सर्व-विरति कहते हैं । यह सर्व-विरति साधु को होती है साधु के पाँच महाव्रत में इन वारह व्रतों का समा-वेश हो जाता है । व्यवहार और निश्चय से पूर्वोक्त व्रतों का पालन करना और ज्ञान ध्यान संवर तथा निर्जरा में आत्म-परिणाम को स्थिर करना ही निश्चित-चारित्र्य है ।

॥ श्री श्रावक के व्रत समाप्त ॥



